सविनय अवज्ञा की घड़ी

१८ जून १९८०

चौधरी चरण सिंह

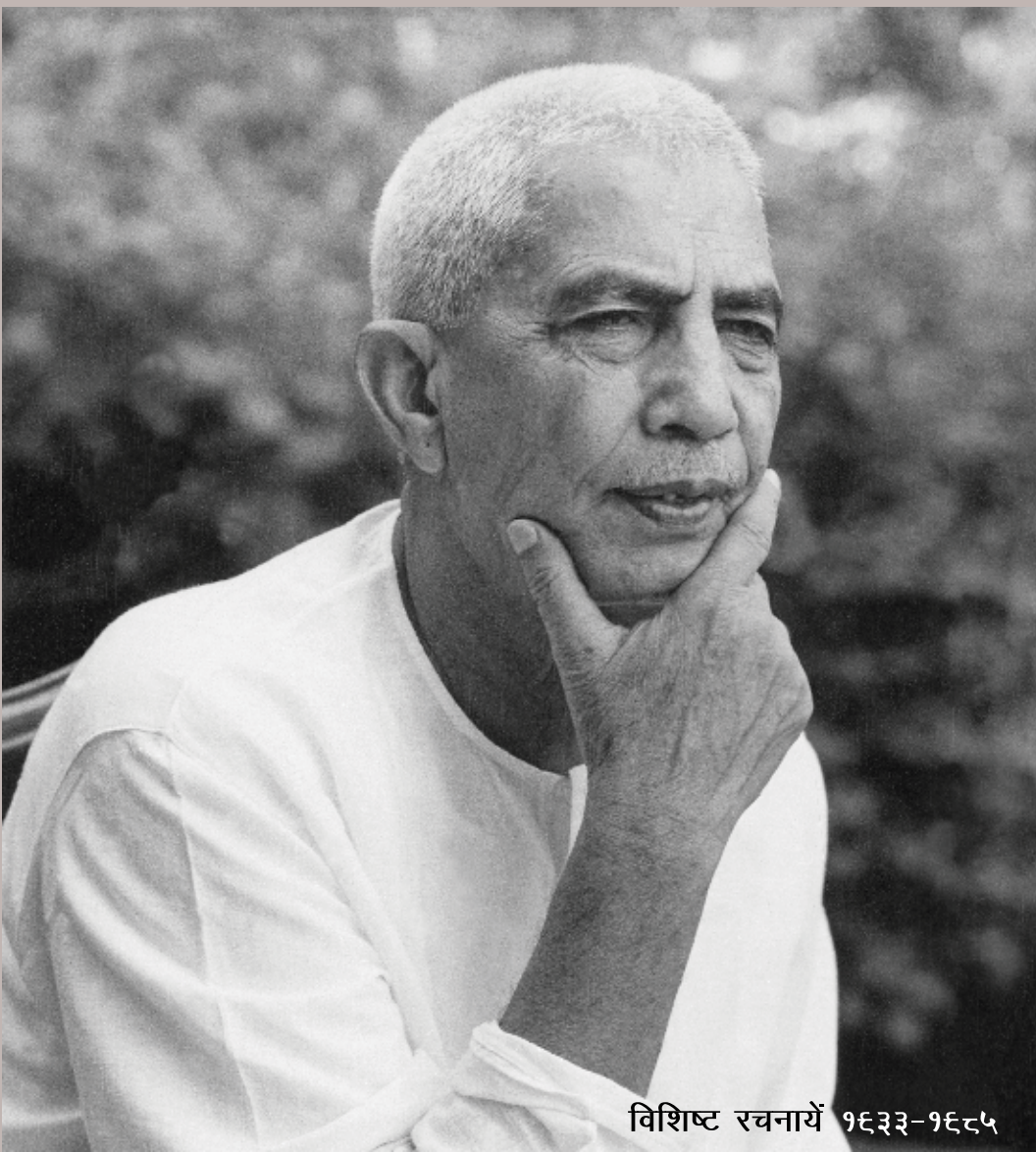

विशिष्ट रचनायें १९३३-१९८५

२६ जनवरी २०२२
चरण सिंह अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित
www.charansingh.org
info@charansingh.org

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन को केवल पूर्व अनुमति के साथ
पुनः प्रस्तुत, वितरित या प्रसारित किया जा सकता है।
अनुमति के लिए कृपया लिखें info@charansingh.org

अक्षर तथा आवरण संयोजन राम दास लाल
सौरभ प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, भारत द्वारा मुद्रित।

चरण सिंह के पिता मीर सिंह तथा माता नेत्र कौर, १९५०

चरण सिंह का जन्म २३ दिसंबर १९०२ को "एक साधारण किसान के यहां छप्पर छवाये मिट्टी की दीवारों से बने घर में हुआ था, जहां आंगन में एक कुंआ था, जिसका पानी पीने और सिंचाई के काम आता था।"[1] संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में एक पट्टेदार गरीब किसान की कच्ची मढ़ैया में पैदा हुआ यह शिशु आज़ाद भारत में देहात की बुलंद आवाज बना।

---

* चरण सिंह के अपने शब्दों में

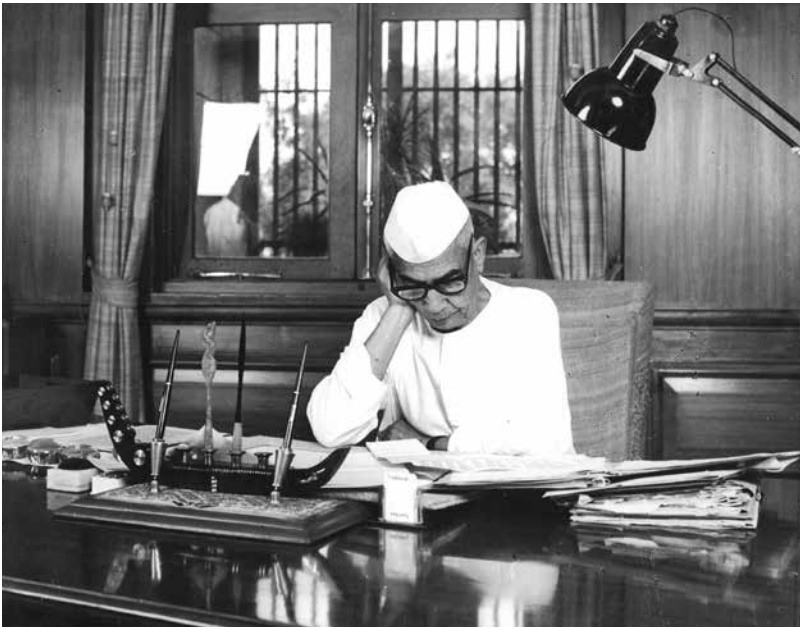

चौधरी चरण सिंह
भारत के प्रधान मंत्री। दिल्लीं, १९७९

ग्रामीण भारत के जैविक बुद्धिजीवी

१
सविनय अवज्ञा की घड़ी

दिल्ली से लगभग ५० किलोमीटर दूर है बागपत का चौपला। १८ जून, १९८० को माया त्यागी, अपने पति ईश्वर त्यागी और उसके दो मित्रों के साथ, अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने जा रही थी। बागपत चौपले पर वहां की पुलिस ने जब माया त्यागी से अशिष्टता की, तो उसके पति ने इसका विरोध किया। इस विरोध के नतीजे में पुलिस ने ईश्वर तथा उसके दोनों मित्रों को वहीं गोलियों से भून दिया था और माया के साथ जो कुछ हुआ, वह एक जिन्दा मौत थी।

चौधरी चरणसिंह के आह्वान पर इस नृशंस कांड के विरोध में उनकी पार्टी, लोकदल, ने सारे देश में सत्याग्रह आन्दोलन चलाया था। गांधीवाद के अनुयायी चौधरी चरणसिंह के अनुसार, "जब 'राज्य' ही अपराध कर्म को संरक्षण देने पर आमादा हो जाये, तो सविनय अवज्ञा का रास्ता ही अख्तियार करना पड़ता है।" और इसी संदर्भ में उन्होंने एक लेख लिखा 'नागरिक अवज्ञा का समय' (टाइम फार सिविल डिसऑबिडिएंस)।

हाल ही में २३ जनवरी, १९८८, को माया त्यागी कांड पर, बुलन्दशहर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु दत्त दुबे का फैसला, जहां पुलिस के चरित्र और उसे बचाने की सरकारी साजिश का पर्दाफाश कर देता है, वहीं इस बात का मूल्यांकन भी करता है कि चौधरी साहब का यह लेख और उसके प्रकाश में किया गया आन्दोलन कितना सही था।

१८ जून, १९८० को बागपत में हुए जघन्य कांड के चलते, जो सविनय अवज्ञा आन्दोलन लोकदल ने शुरू किया है, उसके तात्कालिक एवं दूरगामी उद्देश्य हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन या सत्याग्रह के महत्त्व को थोड़ा और स्पष्ट करने की ज़रूरत है।

बताया जाता है कि इधर हाल के कुछ वर्षों से पुलिस की मिलीभगत

या मौन सहमति के कारण जघन्य अपराध लगातार बढ़े हैं रू विधान सभाओं एवं दूसरे मंचों से इसके खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाये जाने के बावजूद सरकारें, चाहे वह राज्यों की हों या केन्द्रीय, इस मुद्दे पर कमोबेश असम्बद्ध रही हैं। ऐसा लगता है कि असैनिक अफसरशाही या राजनीतिक नेतृत्व को इसकी कोई चिन्ता नहीं कि क्या हो रहा है।

ऐसे लोगों, जिनका किसी प्रकार के मूल्यों में न्यूनतम विश्वास है या जिनमें विवेक की मात्रा कम है, को नागरिक या पुलिस सेवाओं में महत्त्वपूर्ण पदों पर बैठाने की सावधानी से तैयार की गयी जो नीति है, शायद उसी कारण राजकीय तंत्र के सक्रिय समर्थन से किया जाने वाला अपराध अचानक तेजी से बढ़ा है। जहां तक, खासकर बिहार एवं उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, इसके बारे में कोई शंका नहीं कि वहां सत्तारूढ़ पार्टी एवं नागरिक तथा पुलिस अफसरशाही के बीच एक ऐसा गठजोड़ हो चुका है, जिसके कारण एक लूट–खसोट की व्यवस्था सामने आ चुकी है। लेकिन सम्पूर्ण कारक यही नहीं हैं, बल्कि अगर हम लोग देश की वर्तमान सामाजिक स्थितियों का अति सरलीकरण करेंगे, तो इससे राष्ट्रीय हित को धक्का पहुंचेगा।

२३ जून १९८० के 'इंडियन एक्सप्रेस' में अरुण शौरी का 'क्राइम, क्रिमिनल्स एण्ड स्टेट' शीर्षक से जो लेख छपा है, वह वास्तविकता के बहुत करीब है। अपराध, जैसा वे कहते हैं, एक बड़े उद्योग का रूप ले चुका है और वह पहले की तरह सिर्फ घुड़कियां दिखाने वाला नहीं रहा। राज्य की भूमिका न सिर्फ अपराध में अक्सर सहयोग एवं मौन सहमति देने तक सीमित है, बल्कि यह अपराध की शुरुआत भी करता है। अपराध अब जहीन एवं व्यवहार कुशल बन चुका है। लठैत सारे राजनीतिक दलों के लिए उपलब्ध हैं, अगर वे लठैतों का उपयोग करना चाहते हैं, तो उनको भाड़े पर लेने के लिए आवश्यक स्रोत हैं।

यह सब अचानक नहीं हुआ है। कम से कम पिछले दो दशक से भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में अपराध एक निर्णायक कारक बना हुआ है। विधिवत एवं अत्यंत सावधानी के साथ राजनीतिक एवं बौद्धिक वर्ग की अन्तरात्मा को क्षयग्रस्त बनाकर, पिछले दशक में जिस तरह राजनीतिक शैली में मात्रात्मक परिवर्तन लाया गया, उससे इस प्रक्रिया की गति बढ़ी है। लेकिन पिछले तीन दशक या उसके पहले से ही भारत के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास की जो प्रकृति रही है, उसके अनिवार्य परिणाम के तौर पर यह स्थिति आनी ही थी, जो आज हम भारत में पाते हैं।

गौर करने की बात यह है कि राज्य की प्रवृत्ति की व्याख्या करने वाले

जितने भी शास्त्रीय सिद्धांत हैं, उनमें से किसी में भी 'माफिया राज' की अवश्यंभाविता पर विचार नहीं हुआ है, विकास के उस तरीके का ख्याल करते हुए, जिसका आरम्भ आजादी के बाद भारत में हुआ।

न सिर्फ 'राज्यवाद' या 'परमिट–लाइसेंस–कोटा राज' का जैसा सजीव वर्णन राजाजी ने किया था, बल्कि विकास का महानगरीय झुकाव, सत्ता का केन्द्रीय करण. आडम्बर, भव्य प्रदर्शन, पश्चिम की अंधी नकल, उपभोग का आधनिकी करण, संवर्द्धनशील नौकरशाही और दूसरी ऐसी बहुत–सी नीतियां, जिन्हें विकास के नाम पर बढ़ाया गया, उससे धीरे–धीरे उपभोगकर्ताओं, बिचौलियों, कालाधन के संचालकों, लठैतों वगैरह के एक अकर्मण्य वर्ग का राज्य पर कब्जा हो गया। आज भारत में जो कुछ भी हो रहा है, वह 'माफिया राज' की तरफ तेजी से बढ़ता संकट ही है।

यही, एक तरीके से, बागपत या हाल में बम्बई के निर्दोष नागरिकों पर ढाये गये जुल्म जैसी घटनाओं का महत्त्व है।

आज राज्य अपराध का सबसे बड़ा संरक्षक है। राज्य की नीतियों को सूक्ष्म तरीके से हेरफेर कर, करोड़ों रुपया अपराधी गिरोहों के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

हम लोग इस प्रपंच को असहाय होकर देखते नहीं रह सकते। हमें लोगों को एक शांतिपूर्ण संघर्ष में, वैसे ही शामिल करना होगा, जैसे गांधीजी ने विदेशी शासकों के खिलाफ नेतृत्व करते समय किया था। इस मौजूदा स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसका सूत्र गांधी जी के निम्नलिखित उदाहरण से मिलता हैः "बुराई के साथ असहयोग उतना ही बड़ा कर्तव्य है, जितना ईश्वर के साथ सहयोग...ज़्यादातर लोग प्रतिरोध के परिणामों को भुगतने के बजाए आततायी की इच्छा के सामने आत्म–समर्पण कर देते हैं। इस तरह आतंक ही आततायी के साज–सामान का एक भाग बन जाता है...एक नागरिक प्रतिरोधी निरंकुश सत्ता के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर वह सत्ता का विरोध करता है, उसी पर लोकमत तैयार कर, अंततः सत्ता को अपदस्थ कराता है। इसीलिए सविनय अवज्ञा एक पवित्र कर्तव्य बन जाता है, जब राज्य कानून–विहीन हो चुका है या दूसरे शब्दों में कहें तो वह भ्रष्ट हो चुका है। ऐसे राज्य से जो नागरिक सौदा करता है, वह राज्य के भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था का सहभागी बन जाता है। पूर्ण सविनय अवज्ञा शांतिपूर्ण क्रांति की स्थिति है...और यह सशस्त्रं क्रांति से ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसे दबाया नहीं जा सकता, अगर सत्याग्रही चरम कठिनाइयों को भुगतने के लिए तैयार हों...जब अर्जियां दे–देकर कानून बनाने वाले की गलतियों की तरफ ध्यान दिलाने में आप असफल हो चुके हैं, और आप

आत्म–समर्पण करना नहीं चाहते, तो आपके पास एक ही उपाय बच जाता है कि अपनी व्यक्तिगत पीड़ा से उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दें या नी कानून तोड़कर जुर्माना भरने को तैयार रहें...अहिंसा अपनी प्रकृति के अनुसार सत्ता छीनती नहीं है, न ही उसका यह लक्ष्य हो सकता है लेकिन अहिंसा इससे कहीं ज़्यादा काम कर सकती है––यह सरकारी तंत्र पर कब्जा किये बगैर इस पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित कर, सत्ता का पथ–प्रदर्शन कर सकती है। इसका यही सौन्दर्य है।"

मेरे ख्याल में, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, भ्रष्ट नौकरशाहों, भ्रष्ट पुलिसकर्मियों एवं भ्रष्ट व्यापारियों, जो सत्ता पर कब्जा करने को आमादा हैं, के गठजोड़ से हुए नैतिक पतन से कुछ पोषित मूल्यों की रक्षा करने का समय आ गया है। यह सत्याग्रह प्रभावकारी हो, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल करना होगा और इसके साथ ही राज्य, अभी जैसा है और जैसा इसके हो जाने का खतरा है, की प्रकृति के बारे में जानकारी का खूब प्रचार होना चाहिए। हम लोग जिस तरह का समाज भारत में बनाना चाहते हैं, गांधी जी के आदर्शों पर आधारित, उसके बारे में पूरी स्पष्टता होनी चाहिए।

बागपत एक बुरा संकेत है आने वाले खतरों का और लोकदल न सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में भी इसका मुकाबला करने को तैयार हैय मूल्यों, प्रवृत्तियों, त्याग एवं लोक–नैतिकता के खजाने को लेकर, जिसे राष्ट्रपिता ने हमें धरोहर के तौर पर सौंप दिया है।

चौधरी चरण सिंह द्वारा रचित कृतियां

शिष्टाचार, १९४१. (२०१ पृष्ट)

हाउ टू एबोलिश जमींदारीः ह्विच एल्टरनेटिव सिस्टम टू एडाप्ट। (ज़मींदारी उन्मूलन कैसे करें: किस वैकल्पिक प्रणाली को अपनाएं) १९४७. इलाहाबादः सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, संयुक्त प्रांत।

एबोलिशन ऑफ ज़मींदारीः टू अल्टरनेटिव्ज। (जमींदारी उन्मूलनः दो विकल्प) १९४७. किताबिस्तान, इलाहाबाद. (२६३ पृष्ट)

एबोलिशन ऑफ जमींदारी इन यू० पी०: क्रिटिक अंसरड। (उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलनः आलोचकों को जवाब) १९४९. इलाहाबादः सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, संयुक्त प्रांत।

व्हितहर कोआपरेटिव फार्मिंग? (सामूहिक खेती की दिशा?) १९५६. इलाहाबादः सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश।

एग्रेरियन रिवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश। (उत्तर प्रदेश में कृषि क्रांति) १९५७. प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश १९५८ लखनऊ, सुपरिन्टेन्डेन्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश। (६६ पृष्ट)

जॉइंट फार्मिंग एक्स–रैडः द प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन। (संयुक्त खेतीः समस्या और समाधान) १९५९. किताबिस्तान, इलाहाबाद. (३२२ पृष्ट)

इण्डियाज पॉवर्टी एण्ड इट्स सोल्यूशन। (भारत की गरीबी और उसका समाधान) १९६४. एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई। (५२७ पृष्ट)

इण्डियन इकोनॉमिक पॉलिसीः दि गांधियन ब्लूप्रिंट। (भारत की अर्थनीतिः एक गांधीवादी रूपरेखा) १९७८. विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (१२७ पृष्ट)

इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इण्डियाः इट्स कॉज़ एण्ड क्योर। (भारत की भयावह आर्थिक स्तिथिः कारन एवं निदान) १९८१. नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (५९८ पृष्ट)

लैण्ड रिफॉर्म्स इन यू० पी० एण्ड दि कुलक्स। (उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं कुलक वर्ग) १९८६. विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (२२० पृष्ट)

'विशिष्ट रचनाएंः चौधरी चरण सिंह' भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह द्वारा १९३३ और १९८५ के बीच लिखित २२ महत्वपूर्ण लेखों और भाषणों का संग्रह है। इस पुस्तक के अध्ययन से आज का पाठक वर्ग जान सकेगा कि मौजूदा समय की चुनौतियां न तो नई हैं और न ही समाधानहीन। इनसे निपटने के लिए एक मन–सोच अथवा जिगरा चाहिए, जो निश्चय ही धरा–पुत्र चरण सिंह में था। उनका लेखन उस प्रकाशस्तंभ की तरह है जो समुद्र में भटके हुए जहाजों को किनारे तक आने का रास्ता दिखाता है। उनके लेखन के आलोक में हम मौजूदा चुनौतियों को सही परिप्रेक्ष्य में न केवल समझ सकते हैं अपितु उनका समाधान भी पा सकते हैं। इन लेखों में उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि के दर्शन होते हैं। विषयवस्तु की दृष्टि से इन लेखों को सामाजिक लेखन, आर्थिक लेखन, राजनीतिक लेखन एवं उपसंहार – चार खण्डों में विभाजित किया गया है।

चौधरी चरण सिंह की अध्यात्मिक अंतश्चेतना और राजनीतिक मेधा महर्षि दयानन्द सरस्वती एवं महात्मा गांधी से अनुप्रेरित रही, तो सरदार पटेल उनके नायक रहे। इन विभूतियों पर चौधरी साहब ने अपने विचार लेखों में प्रस्तुत किये हैं। जाति–प्रथा, आरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रभाषा जैसे सामाजिक मुद्दों के साथ ही शिष्टाचार जैसे विरल विषय पर भी दो लेख **खण्ड एकः सामाजिक लेखन** में दिये गये हैं।

चौधरी साहब भारत की उन्नति का मूल आधार कृषि, हथकरघा और ग्रामीण भारत को मानते थे। उनकी दृष्टि में ग्रामीण भारत ही वह नियामक तत्व रहा जिसे प्रमुखता देकर देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है, साथ ही बेरोजगारी जैसी विकट समस्या को भी दूर किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भूमि सम्बंधी सुधारों और जमींदारी समाप्त करने को लेकर चौधरी चरण सिंह पर धनी किसानों के पक्षधर होने के आरोप विरोधियों ने लगाये। उनका उन्होंने बेहद तार्किक ढंग से उत्तर दिया है। गांव–किसान और खेती के प्रति उपेक्षापूर्ण नीतियां एवं काले धन की समस्या जैसे तथा उपरोक्त विषयों पर केन्द्रित लेख **खण्ड दोः आर्थिक लेखन** के अन्तर्गत दिये गये हैं।

खण्ड तीनः राजनीतिक लेखन के अन्तर्गत भारत की लम्बी गुलामी के मूल कारणों का विश्लेषण, गांधी–चिंतन, देश में पहली गैर–कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार की आधारभूत नीतियां, देश विख्यात माया त्यागी कांड का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, भाषा आधारित राज्यों के खतरे आदि मुद्दों के अलावा उनके नायक सरदार पटेल की स्मृति पर आधारित लेख हैं। इसी खण्ड में चौधरी साहब के ऐतिहासिक महत्व के दो भाषण भी संकलित हैं, जो लोकशाही पर संकट और राष्ट्रीय विघटन के खतरों के प्रति सचेत करते हैं।

अंतिम **खण्ड चारः उपसंहार** है, जिसमें चौधरी साहब ने राजनीति, समाज नीति और देश से सम्बंधित अधिकतर मुद्दों पर संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत किये हैं।

Charan Singh Archives
www.charansingh.org

मूल्य ₹६६